points in all Central and State Goveramens enforcement age aciea haws bean established to promote inter-agency cooperation its enforece-mentwork. BSF and Coast Guard, who .are deployed on the land and Coastal border have been vested with the powers under the Customs Act to interdict carcctic drugs in additior. to the Central and State Government colorcemen? agencies empowered under NDPS Act

बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय निधियों को अन्य मदों पर खर्च किया जाना

5445. श्री [illegible] : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों को उपयोग में लाने में विफल रही है और इन निधियों का उपयोग उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों हेतु किया गया है, जिनके लिए उन्हें उपलब्ध कराया गया था, यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन मदों हेतु धन उपलब्ध कराया गया और प्रत्येक मद पर कितना धन खर्च किया गया तथा कितना धन अन्य मदों पर खर्च किया गया और क्या इस धन का अन्य मदों में स्थानांतरित किया जाना उचित था; और

(ख) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया है और लेखाओं को ठीक प्रकार से नहीं रखा गया है; यदि हाँ तो क्या केन्द्रीय सरकार वित्तीय अनियमितताओं और किये गये गोलमाल हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वीरप्पा मोइली) : (क) राज्यों को केन्द्रीय सहायता सकल ऋणों और सकल अनुदानों के रूप में समग्र योजना के लिए जारी की जाती है जिसका सम्बन्ध राज्य वार्षिक योजना के तहत किसी विशेष विकास मॉड्यूल अथवा स्कीम से नहीं है। योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्ययों तथा राज्य वार्षिक योजना 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के लिए स्वीकृत परिव्ययों के प्रति राज्य सरकार द्वारा बताए गए व्यय को दर्शाने वाले ब्यौरे अनुपत्र में दिए गये हैं। [देखिये परिशिष्ट-------अनुपत्र सं० 112]

(ख) जहाँ तक बिहार सरकार द्वारा रखे जा रहे लेखों का सम्बन्ध है, यह उल्लेख किया जाता है कि यदि राज्य सरकार द्वारा राज्य वार्षिक योजना के सम्बन्ध में व्यय में कमी होने की जानकारी दी जाती है तो उस मामले में राज्य सरकार को देय सामान्य केन्द्रीय सहायता में से आनुपातिक कटौती कर दी जाती है। संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार किसी राज्य के लेखों के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है जो उन्हें राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखने की व्यवस्था करता है। अतः यह राज्य विधान मंडल का कर्तव्य है कि यदि किसी राज्य में निधियों का सही उपयोग नहीं हो रहा है तो वह इस सम्बन्ध में समुचित कार्रवाई करे।

मध्य प्रदेश में आयकर विभाग द्वारा मारे गये छापे

5446. श्री राजकुमार पटेरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें आयकर विभाग द्वारा मारे गये छापों के दौरान लेखा पुस्तकों को जब्त किया गया था परन्तु उन्हें इस वर्ष जुलाई तक लौटाया नहीं गया है; और

(ख) आयकर अधिनियम में लेखा पुस्तकों को रोके रखने की अवधि के संबंध में क्या प्रावधान है और उपर्युक्त मामलों में लेखा पुस्तकों को लौटाने में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वीरप्पा मोइली) : (क) 88।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 132(8) के अंतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी जब्त की गई लेखा पुस्तिकाओं को, जब्ती की तारीख से 180 दिन की अवधि तक अपने पास रख सकता है। इस अवधि के बाद आयकर अधिनियम के अंतर्गत सभी कार्यवाहियों के पूरा होने की तारीख से अधिकतम 30 दिन की अवधि तक पुस्तिकाओं को आयुक्त अथवा मुख्य आयकर आयुक्त के अनुमोदन से रखा जा सकता है।

उपर्युक्त मामलों में पुस्तिकाएं रिलीज नहीं की गई हैं क्योंकि इन मामलों के संबंध में आयकर संबंधी कार्यवाहियां दण्ड, अपीलों तथा अभियोजनों सहित निर्णय की विभिन्न अवस्थाओं में पड़ी हैं।

Import duty on brass scrap

5447. SHRI CHIMANBHAI MEHTA :
SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the import of scrap used by brass foundaries is duty free; if so, whether this scrap when used in casting and in moulding and the process generating scrap, is eicissble;

(b) whether brass foundaries use recycled